

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर  
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 290/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोंडेन्ट
1- नवलाराम पुत्र किरताराम 2- खेराजराज पुत्र लाधाराम 3- दलाराम पुत्र लाधाराम 4- दीपाराम पुत्र लाधाराम जातियान जाट निवासीगण मानपुरा खारडा, तहसील गिडा, जिला बाडमेर		1- राजुराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी मानपुरा खारडा, तहसील गिडा जिला बाडमेर 2- टीकमाराम पुत्र धर्माराम 3- चैनाराम पुत्र धर्माराम 4- गिरधारीराम पुत्र गोकलाराम 5- दानाराम पुत्र भोमाराम 6- जोधाराम पुत्र भोमाराम 7- आसूराम पुत्र रतनाराम 8- जेहाराम पुत्र रेखाराम 9- जवाराराम पुत्र आदुराम 10- गोस्धनराम पुत्र किरताराम 11- राजुराम पुत्र लाधाराम 12- मगाराम पुत्र ताजाराम 13- रावताराम पुत्र गोस्धनराम 14- रावताराम पुत्र घमण्डाराम 15- मगाराम पुत्र ताजाराम 16- खरथाराम पुत्र सुजाराम 17- राजुराम पुत्र नारणाराम 18- मोटाराम पुत्र खेताराम 19- वगताराम पुत्र खेताराम जातियान जाट निवासीगण मानपुरा खारडा, तहसील गिडा, जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956  
विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या  
89/2018 अनवान राजुराम बनाम टीकमाराम वगैरा मे दिनांक 4-6-2018  
को पारित किया गया ।

उपस्थिति:-

- 1-श्री एम.एल.खत्री अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
- 2-श्री दयाराम चौधरी अधिवक्ता रेस्पोंड संख्या 1 की ओर से ।
- 3-शेष रेस्पोंड बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 13-11-2020

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अन्य  
प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध दिनांक 4-6-2018 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128  
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड  
अधिकारी बायतु के समक्ष राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प कोर्ट परेऊ  
मे पेश किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 का खातेदारी का खेत ग्राम मानपुरा खारडा के खेत  
खसरा नंबर 210, 211, 212 व 262 रकबा क्रमशः 0.18, 0.13, 229.09 एवं 40.09 कुल  
271.19 बीघा भूमि आई हुई है, जिसके वे रेकर्डेड खातेदार है तथा अन्य प्रत्यर्थीगण के  
खेत सेढा-सेढ आये हुए है, जिनके बीच सीमा चिन्ह या कोई पक्की मांठ नही होने से

बारिश के मौसम में सेढो को लेकर विवाद रहता है इसलिए मौका फर्द अनुसार पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को केम्प कोर्ट में ही दर्ज कर उसी दिन अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4-6-2018 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए तहसीलदार गिडा को आदेशित किया कि प्रार्थीगण एवं उसके खातेदारी खेत के समस्त हितबद्ध पक्षकारों को नोटिस देकर सुनने के बाद दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में प्रार्थना पत्र उल्लेखित विवादित खसरा नंबर की भूमि के चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करे तथा नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिडा को कमिश्नर नियुक्त कर आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

पक्षकारों के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांटगण की खातेदारी के खसरा नंबर 226 है जो कि प्रत्यर्थीगण संख्यां 1 राजुराम के खसरा नंबर 227 से लगता हुआ है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत धारा 111, 128 आर.एल.आर.एक्ट में अपीलांटगण को पक्षकार ही नहीं बनाया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी इस कानूनी प्रावधान को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में विवादित खसरा नंबरान के पडौसी खातेदारों को पक्षकार बनाया जाकर उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक होता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पक्षकारों के कुसंयोजन के कारण भी निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि लोक अदालत में केवल उन प्रकरणों की सुनवाई की जा सकती है जिसमें दोनों पक्षकार आपसी सहमति से विवादों का निबटारा करने बाबत आदेश पारित किये जाते हैं लेकिन वर्तमान मामले में लोक अदालत की भावना के विपरीत आदेश पारित किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

अंत में वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4-6-2018 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन भूमि के सभी पडौसी खातेदारों को पक्षकार बनाया जाकर विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

रेस्पोंड की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में प्रार्थी के खातेदारी के खेत के चारों तरफ सेढा पडौसियों को नोटिस देने के

बाद, दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में प्रार्थी के खातेदारी खेत की नेखमबंदी करने का आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया।


हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा वर्तमान अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों का भी अध्ययन किया।

अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प कोर्ट परेऊ के समक्ष वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 1 हड्डुमानराम ने दिनांक 4-6-2018 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया कि उसके खातेदारी की भूमि के पड़ोसी खातेदारों के खेतों के बीच कोई सीमा चिन्ह एवं पक्की माठ नहीं होने के कारण प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेतों की सीमा को लेकर विवाद बना रहता है इसलिए इस विवाद को समाप्त करने के लिए उसके खातेदारी के खेत का खेत ग्राम मानपुरा खारडा के खेत खसरा नंबर 210, 211, 212 व 262 रकबा क्रमशः 0.18, 0.13, 229.09 एवं 40.09 कुल 271.19 बीघा भूमि की पक्की नेखमबंदी करने का निवेदन किया, इससे यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं अपीलांटगण के खातेदारी के खेत की सीमा को लेकर विवाद था तो पड़ोसी खातेदार वर्तमान अपीलांट को पक्षकार बनाया जाकर उसे सुना जाना आवश्यक था।

इसके अलावा वर्तमान अपील के साथ जो दस्तावेज जमाबंदी एवं राजस्व नक्शा आदि प्रस्तुत किये गये हैं जिनसे यह प्रकट है कि अपीलांट प्रत्यर्थी संख्या 1 के खातेदारी के खसरा नंबर 227 का सेढा पड़ोसी है तथा अपीलांट के खातेदारी खेत का खसरा नंबर 226 है, जो कि खसरा नंबर 227 के खेत से लगता हुआ है, ऐसे में अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नेखमबंदी के प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था परंतु अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में वर्तमान अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है।

धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान अनुसार नेखमबंदी के प्रार्थना पत्र में विवादित खसरा नंबरान के पड़ोसी खातेदारों को पक्षकार बनाया जाकर उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक होता है इसलिए उक्त विधिक प्रावधान अनुसार भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4-6-2018 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलाधीन भूमि के पड़ोसी खातेदारों एवं अपीलांटगण को नोटिस जारी कर उन्हें



पनि. पञ्जाबीय बायतु  
कोटपूर

सुनवाई का अवसर प्रदान कर उनकी उपस्थिति में रेसपो0 संख्या 1 राजुराम के नेखमंबंदी प्रार्थना पत्र पर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।



(अरुण पुरोहित)  
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त  
जोधपुर